न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 115/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/230**
दायर दिनांक :– 23.05.2025 **निर्णय दिनांक :– 04.11.2025**

1. विनोद कंवर पत्नी परबतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चौधरीयों पटेलों का बास, कांगाणी तहसील व जिला जोधपुर

–प्रार्थीया

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. जिया पत्नी भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. प्रकाश विश्नोई पुत्र भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तह. बाप जिला फलोदी
4. बाबूराम पुत्र जूजाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
5. लखूराम पुत्र जूजाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
6. शीशपाल पुत्र भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
7. किशनलाल पुत्र पीराराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
8. हेतराम पुत्र हरचंद जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
9. देवेन्द्रप्रतापसिंह चाम्पावत पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत निवासी बाप तह. बाप जिला फलोदी
10. नरपतसिंह पुत्र जेठूसिंह जाति राजपूत निवासी कांकाणी तहसील व जिला जोधपुर
11. मनोहरसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी गुमानपुरा तहसील देचू जिला फलोदी
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीया
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 924 रकबा 5.8356 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 924/4 रकबा 0.1376 हैक्टेयर ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू–नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 16.04.2025 को जारी आदेश कम संख्या 16 की पालना में दिनांक 28.04.2025 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से

Satya...

पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थी तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 28.04.2025 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 11 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 28.04.2025 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 924 रकबा 5.8356 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 924/4 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 28.04.2025 के अनुसार प्रार्थी की हद में प्रार्थी और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 924 रकबा 5.8356 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 924/4 रकबा 0.1376 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 28.04.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 924 रकबा 5.8356 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 924/4 रकबा 0.1376 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी

Satya...

पैमाईश फर्द दिनांक 28.04.2025 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 924 रकबा 5.8356 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 924/4 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी मौका फर्द दिनांक 28.04.2025 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Satya

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)